(6) कोटेशन लिफाफा में सभी कागजात कोटेशनदाता द्वारा हस्ताक्षरित कर संलग्न किया जायेगा। मॉगे जाने पर कोटेशन में समर्पित कागजातों की मूल प्रति कोटेशनदाता द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

(7) अपूर्ण कोटेशन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

(8) तकनीकी रूप से योग्य की वित्तीय कोटेशन पर विचार किया जायेगा।

(9) कोटेशन प्रक्रिया को बिना पूर्व सूचना के पूर्णतः/अंशतः संशोधित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।

(10) कोटेशन प्रारूप कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं संस्थान के वेबसाईट www.kvibbihar.com पर उपलब्ध है।

(11) प्रति कॉफी टेबुल का दर अंकित करते हुए 500 प्रति का मूल्य अंकित करना होगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
13/10/17

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना –4
दूरभाष संख्या–9771427746
कोटेशन आमंत्रण सूचना

पत्रांक– पृ०/434 **पटना, दिनांक–** 13/10/2017

संचिका संख्या–5प्र0–01–195/2017

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पूर्वी गॉधी मैदान, पटना–4 द्वारा बिहार में खादी, कॉफी टेबुल बुक के मुद्रण/प्रकाशन हेतु निबंधित मुद्रकों/प्रकाशकों से निम्न शर्त्तों के तहत मुहरबंद कोटेशन दिनांक–23.10.2017 के अपराहन् 02:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय–कक्ष में उसी दिन अपराहन् 4:00 बजे खोली जायेगी, जिसमें कोटेशनदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।

(1) संबंधित पुस्तक की कुल 500 प्रतियों का हिन्दी में मुद्रण किया जाना है।

(2) A4 आकार में पुस्तक मुद्रित होगा। पुस्तक में आवरण सहित 100 पृष्ट होगें।

(3) पुस्तक का मुद्रण चार रंगों में होगा। अंदर का पृष्ट 130 जी.एस.एम. आवरण 300 जी.एस.एम./मैट लेमिनेशन।

(4) प्रत्येक आलेख के साथ संबंधित विषय का कम–से–कम 4 उत्कृष्ट फोटोग्राफ्स रहना अनुवार्य है।

(5) पुस्तक की छपाई स्कैनिंग–प्लानिंग सहित होगी। (डिजाईन एवं एडिटिंग सहित)।

(6) कोटेशन देने के पूर्व मुद्रक/प्रकाशक किसी भी कार्य–दिवस को कार्यालय अवधि में पाण्डुलिपि देख सकते हैं।

कोटेशन की शर्त्ते :–

(1) सीलबंद कोटेशन द्वि–लिफाफा पद्वति के अन्तर्गत होगा। इसमें तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन के उल्लेख के साथ दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफा होगा। दोनों सीलबंद लिफाफे सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर उसे सीलबंद कर समर्पित करना होगा।

(2) मुद्रण में उपयोग किये जाने वाले 130 जी.एस.एम. आर्ट पेपर कागज का नमूना।

(3) कर (TIN/VAT/GST) निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(4) प्रतिष्ठान/प्रोपराईटर के पैन कार्ड की छायाप्रति।

(5) विगत तीन वर्षों का मुद्रण कार्य अनुभव संबंधी कागजात की छायाप्रति।